राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(1) वित्त/आब/2022 — दिनांक 05.02.2022

आज्ञा

आबकारी एवं मद्य–संयम नीति वर्ष 2022–23 एवं वर्ष 2023–24

मद्य संयम के तहत वित्तीय, सामाजिक एवं सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से निम्नलिखित उददेश्यों की प्राप्ति हेतु सरकार प्रतिबद्ध हैः–

सामाजिक :

उपभोक्ताओं को **उच्च गुणवत्तायुक्त उत्पाद** उपलब्ध करवाना तथा मदिरा के **बढ़ते प्रचलन को हतोत्साहित** करना।

उत्तरदायित्व :

आमजन में **शराब के दुष्प्रभावों को प्रचारित करना** एवं **मदिरा उपभोक्ताओं में जागरूकता** उत्पन्न करना ताकि हथकड़ व अवैध मदिरा के स्थान पर उच्च गुणवत्तायुक्त मदिरा का उपभोग कर सके।

वित्तीय :

राजस्व के ह्रास को इस नीति में निहित प्रावधानों एवं निरोधात्मक गतिविधियों द्वारा रोकना।

उपरोक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा, आबकारी एवं मद्य–संयम नीति वर्ष 2022–23 एवं वर्ष 2023–24 निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः–

(1) **अवधि :** आगामी आबकारी बन्दोबस्त की अवधि 2 वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष 2022–23 व 2023–24 (1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2024 तक) के लिये होगी। आबकारी ड्यूटी, ईडीपी, ईबीपी, एमआरपी, एमएसपी, लाईसेन्स फीस एवं अन्य फीस आदि में संशोधन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा उपयुक्त समय पर निर्णय लिया जा सकेगा।

(2) **मदिरा की खुदरा दुकानों का बन्दोबस्त :**

2.1 राज्य में मदिरा की खुदरा दुकानों की संख्या पूर्व अनुसार 7665 यथावत रखी जाती है। ये सभी दुकानें कम्पोजिट श्रेणी की होंगी जिनमें देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा (RML), भारत निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL), बीयर एवं वाईन की आपूर्ति एवं विक्रय अनुमत होगा।

2.2 मदिरा की खुदरा दुकानों के अनुज्ञापत्र दुकानवार निर्धारित **वार्षिक गारण्टी राशि** पर प्रदत्त किये जायेगे। मॉडल शॉप, एयरपोर्ट शॉप तथा राजस्थान पर्यटन विकास निगम को उनके उपलब्ध परिसर में अनुमत की जाने वाली रिटेल ऑफ दुकानों का आवंटन वार्षिक लाईसेन्स फीस के आधार पर किया जायेगा।

2.3 मदिरा दुकानों की infrastructure लागत के आधार पर खुदरा अनुज्ञाधारियों की मांग रही है कि मदिरा दुकानों का आवंटन एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये होना चाहिये। अनुज्ञाधारियों की मांग पर विचार कर राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021–22 के मदिरा के पात्र खुदरा अनुज्ञाधारियों को वर्ष 2022–23 के लिये उनके द्वारा किये गये कार्य का मूल्यांकन कर नवीनीकरण का विकल्प देने का निर्णय लिया है। साथ ही, वर्ष 2022–23 के अनुज्ञाधारियों के अनुज्ञापत्रों का भी निर्धारित शर्तों की पूर्ति पर वर्ष 2023–24 के लिये नवीनीकरण किया जायेगा।

2.4 वित्तीय वर्ष 2022–23 व 2023–24 के लिये अनुज्ञाधारियों द्वारा निर्धारित अवधि में नवीनीकरण का विकल्प प्रस्तुत नहीं करने या अन्य कारणों से नवीनीकरण नहीं होने पर नवीनीकरण से अवशेष मदिरा की खुदरा दुकानों का निलामी के माध्यम से बन्दोबस्त किया जायेगा।

2.5 नवीनीकरण की प्रक्रिया :

2.5.1 वर्ष 2021–22 के ऐसे अनुज्ञाधारी जिन्होंने माह फरवरी, 2022 तक निर्धारित गारण्टी पूर्ति कर ली हो तथा कम्पोजिट फीस की पूर्ण राशि जमा करा दी हो व वर्ष 2021–22 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो, को वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिये अनुज्ञापत्र नवीनीकरण का विकल्प निर्धारित शर्तों पर दिया जाएगा।

2.5.2 अधिक से अधिक अनुज्ञाधारी नवीनीकरण के लिये योग्य हो सकें इसके लिये वर्ष 2021–22 की समस्त बकाया गारण्टी की पूर्ति एवं समस्त बकाया कम्पोजिट फीस को जमा कराने की अवधि दिनांक 28.02.2022 तक बढ़ाई जाती है। अनुज्ञाधारी द्वारा इस अवधि मे बकाया गारण्टी के विरूद्ध मदिरा का उठाव या बकाया राशि बिना ब्याज के जमा कराई जा सकेगी।

2.5.3 नवीनीकरण की प्रक्रिया में वर्ष 2021–22 के लिये निर्धारित वार्षिक गारण्टी राशि या मदिरा के वास्तविक उठाव की राशि (actual lifting), जो भी अधिक हो, को निम्नलिखित तालिका में दिये गये प्रतिशत के अनुसार बढ़ाकर वर्ष 2022–23 के लिये वार्षिक गारण्टी राशि का निर्धारण किया जाएगा –

वर्ष 2021–22 की वार्षिक गारण्टी राशि या वास्तविक उठाव राशि, जो भी अधिक हो (रूपये)	**प्रतिशत वृद्धि**	**नवीनीकरण फीस (रूपये)**
(1)	(2)	(3)
एक करोड़ तक	12	75,000
1 करोड़ से अधिक एवं 2 करोड़ तक	11	1 लाख
2 करोड़ से अधिक एवं 3 करोड़ तक	10	1.25 लाख
3 करोड़ से अधिक एवं 4 करोड़ तक	9	1.50 लाख
4 करोड़ से अधिक एवं 5 करोड़ तक	8	1.75 लाख
5 करोड़ से अधिक	7	2 लाख

किसी दुकान के वर्ष में एक से अधिक बार निलामी होने या पूर्ण वर्ष से कम अवधि में संचालन की स्थिति में उस दुकान के लिये प्राप्त अधिकतम बिड राशि या संचालन अवधि में मदिरा के वास्तविक उठाव के आधार पर आनुपातिक रूप से गणना कर वार्षिक उठाव की आंकलित राशि, जो भी अधिक हो के आधार पर उपर्युक्त तालिका के कॉलम संख्या (1) की राशि का निर्धारण किया जायेगा।

2.5.4 पात्र अनुज्ञाधारियों द्वारा नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र के साथ बिन्दु संख्या 2.5.3 की तालिका में दी गई **नवीनीकरण फीस** तथा बिन्दु संख्या 2.12 के अनुसार निर्धारित **धरोहर राशि** दिनांक 7 मार्च, 2022 तक जमा करायी जायेगी।

2.5.5 जिन अनुज्ञाधारियों द्वारा निर्धारित अवधि में नवीनीकरण फीस व धरोहर राशि जमा करा दी हो उनके द्वारा बिन्दु सख्या 2.9.11.1 के अनुसार अग्रिम वार्षिक गारण्टी राशि तथा बिन्दु संख्या 2.10 के अनुसार वार्षिक लाईसेन्स फीस की निर्धारित राशि दिनांक 14 मार्च, 2022 तक जमा करायी जायेगी।

2.5.6 अनुज्ञाधारी द्वारा निर्धारित अवधि में नवीनीकरण फीस व धरोहर राशि के अन्तर की राशि जमा कराने के बाद अग्रिम वार्षिक गारण्टी राशि तथा वार्षिक लाईसेन्स फीस की निर्धारित राशि जमा नहीं कराने पर उसका नवीनकीकरण निरस्त कर नवीनीकरण फीस व धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

2.5.7 नवीनीकरण की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेगे।

2.6 ऑनलाईन निलामी द्वारा बंदोबस्त की प्रक्रिया :

2.6.1 नवीनीकरण से शेष रही मदिरा दुकानों के प्रत्येक जिले में विवेकीकरण एवं पुनर्गठन की कार्यवाही करके आबकारी आयुक्त द्वारा प्रत्येक दुकान हेतु **न्यूनतम रिजर्व प्राईस** का निर्धारण किया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष 2022—23 के लिये बंदोबस्त की कार्यवाही की जायगी।

2.6.2 बन्दोबस्त हेतु ऑनलाईन निलामी की प्रक्रिया में संबंधित आवेदकों को यथासमय आवश्यक निर्धारित आवेदन राशि का भुगतान कर पंजीकरण कराके ऑनलाईन निलामी में भाग लिया जाना है। राजस्थान गंगानगर शुगर मिल्स लि. एवं राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लि. भी ऑनलाईन निलामी में भाग ले सकेंगे एवं मदिरा दुकानों का संचालन कर सकेंगे। ऑनलाईन आवेदन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश आबकारी आयुक्त, राजस्थान द्वारा जारी किये जायेंगे।

2.6.3 निलामी प्रक्रिया में न्यूनतम रिजर्व प्राईस पर ऑनलाईन बोली में अधिकतम राशि देने वाले बोलीदाता को सफल आवेदक के रूप में चयन किया

जायेगा। दुकानवार निलामी से प्राप्त अधिकतम बोली सम्बन्धित दुकान के लिये **वार्षिक गारण्टी राशि** के रूप में निर्धारित की जायेगी।

2.6.4 एक व्यक्ति एक जिले में दो दुकानों से अधिक एवं सम्पूर्ण राज्य में पांच दुकानों से अधिक नहीं ले सकेगा। यह शर्त राज्य सरकार के उपक्रमों राजस्थान गंगानगर शुगर मिल्स लि. एवं राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लि. पर लागू नहीं होगी।

2.6.5 **आवेदन शुल्क :**

मदिरा की खुदरा दुकानों की ऑनलाईन निलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु आवेदन शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:—

श्रेणी	आवेदन शुल्क
एक करोड़ रूपये तक न्यूनतम रिजर्व प्राईस वाली दुकान	75,000
1 करोड़ रूपये से अधिक एवं 2 करोड़ रूपये तक न्यूनतम रिजर्व प्राईस वाली दुकान	1 लाख
2 करोड़ रूपये से अधिक एवं 3 करोड़ रूपये तक न्यूनतम रिजर्व प्राईस वाली दुकान	1.25 लाख
3 करोड़ रूपये से अधिक एवं 4 करोड़ रूपये तक न्यूनतम रिजर्व प्राईस वाली दुकान	1.50 लाख
4 करोड़ रूपये से अधिक एवं 5 करोड़ रूपये तक न्यूनतम रिजर्व प्राईस वाली दुकान	1.75 लाख
5 करोड़ रूपये से अधिक न्यूनतम रिजर्व प्राईस वाली दुकान	2 लाख

आवेदन शुल्क प्रत्येक दुकान के लिये पृथक—पृथक देय होगा जो कि अप्रतिदेय (Non-refundable) होगा।

2.6.6 **अमानत राशि (Earnest Money) :**

2.6.6.1 प्रत्येक दुकान के लिये ऑनलाईन निलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित न्यूनतम रिजर्व प्राईस की 2 प्रतिशत राशि अमानत राशि के रूप में आवेदन के साथ जमा करायी जानी है। निलामी के दौरान बिड राशि के अनुसार अतिरिक्त अमानत राशि भी जमा करानी होगी। इस प्रकार Dynamic अमानत राशि का प्रावधान निलामी की प्रक्रिया में किया जायेगा। इसके लिये विस्तृत दिशा निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा निलामी की शर्तों में सम्मिलित किये जायेगे।

2.6.6.2 अनुज्ञापत्र हेतु चयनित आवेदक द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि को धरोहर राशि पेटे समायोजित किया जा सकेगा। असफल आवेदकों द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि संबंधित आवेदक को लौटा दी जायेगी।

2.6.7 **पुनः बंदोबस्त :**

ऑनलाईन निलामी प्रक्रिया में किसी दुकान के पड़त रहने या नवीनीकरण/ऑनलाईन निलामी से आवंटित मदिरा की खुदरा दुकान का

अनुज्ञा पत्र निरस्त होने आदि कारणों से पुनः बंदोबस्त आवश्यक होने पर ऑनलाईन निलामी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

2.6.8 **न्यूनतम रिजर्व प्राईस :**

2.6.8.1 ऑनलाईन निलामी के लिये संबंधित दुकान की न्यूनतम रिजर्व प्राईस का निर्धारण देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा की आबकारी ड्यूटी की राशि तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL), बीयर एवं वाईन की आबकारी ड्यूटी व अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी की राशि तथा BIO मदिरा की फीस का योग कर तय की जायेगी।

2.6.8.2 वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिये न्यूनतम रिजर्व प्राईस का निर्धारण आबकारी आयुक्त द्वारा संबंधित दुकान की वर्ष 2021–22 की वार्षिक गारण्टी राशि या मदिरा के वास्तविक उठाव की राशि, जो भी अधिक हो, को बिन्दु संख्या 2.5.3 में दी गयी तालिका में दिये गये प्रतिशत अनुसार बढ़ाकर किया जाएगा।

2.6.8.3 विवेकीकरण के माध्यम से गठित नई दुकानों तथा किसी दुकान के पुनः बन्दोबस्त की स्थिति में आबकारी आयुक्त द्वारा न्यूनतम रिजर्व प्राईस का निर्धारण संबंधित क्षेत्र, शहर व जिले में गत वर्षों में हुए बंदोबस्त, मदिरा के उठाव, जनसंख्या तथा अन्य आर्थिक पहलुओं व आबकारी विभाग के लिये निर्धारित राजस्व लक्ष्य के आधार पर युक्तिकरण कर आबकारी आयुक्त द्वारा किया जाएगा।

2.6.8.4 दुकानवार निर्धारित न्यूनतम रिजर्व प्राईस में देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा की आबकारी ड्यूटी तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर एवं वाईन की आबकारी ड्यूटी व अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी का विवरण स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जायेगा।

2.7 वर्ष 2023–24 के लिये बंदोबस्त :–

2.7.1 वर्ष 2022–23 के दुकानों के ऐसे अनुज्ञाधारी जिन्होंने निर्धारित वार्षिक गारण्टी राशि, वार्षिक लाइसेंस फीस तथा अन्य समस्त देयतायें जमा करा दी हो, उनके अनुज्ञापत्रों का निर्धारित शर्तों की पूर्ति करने पर वर्ष 2023–24 के लिये तत्समय नवीनीकरण किया जायेगा।

2.7.2 वर्ष 2023–24 के लिये अनुज्ञापत्रों के नवीनीकरण हेतु वर्ष 2022–23 की वार्षिक गारण्टी राशि या मदिरा के वास्तविक उठाव की राशि (Actual lifting), जो भी अधिक हो, को 15 प्रतिशत बढ़ाकर वर्ष 2023–24 के लिये वार्षिक गारण्टी राशि निर्धारित की जायेगी।

2.7.3 नवीनीकरण की अन्य शर्तें, नवीनीकरण फीस व प्रक्रिया वर्ष 2022–23 के अनुसार ही होगी। पात्र अनुज्ञाधारियों द्वारा वर्ष 2023–24 के लिये

नवीनीकरण हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार नवीनीकरण फीस, धरोहर राशि की अन्तर राशि, अग्रिम वार्षिक गारण्टी की राशि तथा वार्षिक लाइसेंस फीस की निर्धारित राशि निर्धारित अवधि में जमा नहीं कराने पर उसका नवीनीकरण निरस्त कर वर्ष 2022–23 की धरोहर राशि सहित वर्ष 2023–24 हेतु जमा कराई गई समस्त राशि जब्त कर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

2.7.4 नवीनीकरण से शेष रही दुकानों का बंदोबस्त ऑनलाइन निलामी की प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा। निलामी हेतु न्यूनतम रिजर्व प्राइस का निर्धारण वर्ष 2022–23 की वार्षिक गारण्टी राशि या मदिरा के वास्तविक उठाव की राशि (Actual lifting), जो भी अधिक हो, को 15 प्रतिशत बढ़ाकर किया जायेगा। निलामी की अन्य शर्तें व प्रक्रिया वर्ष 2022–23 के अनुसार रहेगी तथा विस्तृत दिशा–निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेंगे।

2.8 दुकानों एवं गोदाम की अवस्थिति :–

2.8.1 समस्त दुकानों तथा गोदामों के लोकेशन ऑनलाईन स्वीकृत किये जायेंगे। उनके जीओ टेग के कॉरडिनेट डाटा को आनलाईन फीड करके आस पास के विद्यालय, धार्मिक स्थल, आंगनबाडी तथा अस्पताल आदि को शामिल किया जाकर उनकी स्थिति स्पष्ट अंकित करनी होगी।

2.8.2 सिविल अपील संख्या 12164–12166 राज्य बनाम के बालू. में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.12.2016 तथा इस निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 12179/2016 में पारित निर्णय दिनांक 31.03.2017 की तथा उक्त की निरन्तरता में स्पेशल लीव पिटीशन (सिविल संख्या 10243 ऑफ 2017 अराई सेफ सोसायटी ऑफ चण्डीगढ़ बनाम द यूनियन टेरिटेरी ऑफ चण्डीगढ़ व अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.07.2017 एवं सिविल अपील संख्या 12164–12666 ऑफ 2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.02.2018 के क्रम में राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों (National highways and State highways) पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मदिरा दुकान की अवस्थिति के संबंध में निर्धारित प्रतिबन्धित दूरी की पालना सुनिश्चित की जायेगी।

2.8.3 वर्ष 2016–17 की आबकारी नीति के अनुरूप मदिरा भण्डारण के लिये निर्धारित वार्षिक फीस जमा कराने पर प्रत्येक दुकान हेतु एक गोदाम की अनुमति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.12.2016 के अध्यधीन दी जा सकेगी। गोदाम हेतु दुकान के लिए 1 लाख रूपये वार्षिक फीस देय होगी। इसमें शहरी क्षेत्र में अपने विक्रय काउंटर (दुकान) के 100 मीटर परिधि में तथा ग्रामीण क्षेत्र में सुविधानुसार जहां दुकान का लोकेशन दिया गया है, उस ग्राम पंचायत में उपलब्ध स्थल पर गोदाम

अनुमत किये जा सकेंगें, परन्तु दुकान के लिये स्वीकृत गोदाम की अवस्थिति पड़ोस के अन्य समूह के लिए स्वीकृत गोदाम/दुकान से न्यूनतम 500 मीटर की दूरी से कम दूरी पर स्वीकृत नहीं किया जायेगा। शहरी क्षेत्र की दुकान का गोदाम उनकी पड़ोस की गोदाम/दुकान से न्यूनतम 50 मीटर की दूरी से कम दूरी पर स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा।

2.9 वार्षिक गारण्टी राशि :–

2.9.1 ऑनलाईन निलामी द्वारा प्राप्त अधिकतम बोली या नवीनीकरण की प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक दुकान के लिये वर्षवार **वार्षिक गारण्टी राशि** का निर्धारण किया जायेगा।

2.9.2 सम्बन्धित वर्ष के लिये निर्धारित **वार्षिक गारण्टी राशि** पेटे देशी मदिरा (राजस्थान निर्मित मदिरा–RML सहित), भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर एवं वाईन के मासिक उठाव के लिये जमा कराई गई आबकारी ड्यूटी एवं अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी तथा BIO की फीस का भराव दिया जायेगा।

2.9.3 दुकानवार निर्धारित **वार्षिक गारण्टी राशि** 12 महीनों या शेष महीनों (एक वर्ष से कम अवधि के लिये स्वीकृति की स्थिति में) में बराबर–बराबर बांटी जायेगी एवं तद्नुसार प्रतिमाह मदिरा का उठाव करना होगा।

2.9.4 **वार्षिक गारण्टी राशि** में देशी मदिरा (राजस्थान निर्मित मदिरा–RML सहित) की आबकारी ड्यूटी एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर एवं वाईन की आबकारी ड्यूटी व अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी का अनुपात संबंधित दुकान की निलामी के समय न्यूनतम रिजर्व प्राईस में निर्धारित अनुपात के अनुरूप ही रहेगा।

परन्तु यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्ष 2021–22 के लिये दुकान की ऑनलाईन निलामी के समय निर्धारित न्यूनतम रिजर्व प्राईस से निलामी में अधिक प्राप्त राशि व नवीनीकरण की प्रक्रिया द्वारा वर्ष 2022–23 व 2023–24 के लिये निर्धारित **वार्षिक गारण्टी राशि** में वर्ष 2021–22 व 2022–23 की **वार्षिक गारण्टी राशि** में वृद्धि कर सम्मिलित की गई अतिरिक्त राशि किसी भी प्रकार की मदिरा उठाव में समायोजन योग्य होगी।

इसी प्रकार, वर्ष 2022–23 व 2023–24 की निलामी में न्यूनतम रिजर्व प्राईस से अधिक प्राप्त होने वाली राशि किसी भी प्रकार की मदिरा उठाव में समायोजन योग्य होगी।

2.9.5 राज्य के मद्यसंयम नीति की पालना हेतु एवं उपभोक्तओं को सस्ती व उच्च गुणवत्ता की राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) उपलब्ध कराने की दृष्टि से कुल **वार्षिक गारण्टी राशि** में देशी मदिरा (राजस्थान निर्मित मदिरा–RML सहित) के लिये निर्धारित गारंटी राशि में से न्यूनतम 30 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान निर्मित मदिरा–RML के लिये रखा जाता है। शेष देशी मदिरा के

हिस्से में से 50/60 यूपी का हिस्सा न्यूनतम 40 प्रतिशत होगा। 40 यू.पी. से अधिक तेजी की देशी मदिरा जो कि न्यून मात्रा में आपूर्ति की जाती है को भी देशी मदिरा के उठाव में शामिल किया जायेगा।

2.9.6 देशी मदिरा में कम तेजी की 60 यू.पी. मदिरा को प्राथमिकता से उठाव एवं विक्रय का प्रयास किया जायेगा तथा इसके कम हानिकारक होने के संबंध में मदिरा उपभोक्ताओं को जागरूक किया जायेगा।

2.9.7 अनुज्ञाधारी द्वारा किसी माह में मदिरा का उठाव उक्त निर्धारित अनुपात में नहीं करने की स्थिति में संबंधित त्रैमास के अन्य माह/माहों में मदिरा के उठाव के लिये जमा कराई गई आबकारी ड्यूटी/अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी से समायोजन किया जा सकेगा।

2.9.8 अनुज्ञाधारी द्वारा किसी माह में निर्धारित गारण्टी राशि से अधिक मदिरा के उठाव पर बेसिक लाईसेन्स फीस में छूट लिये जाने या वार्षिक लाईसेन्स फीस के पेटे मदिरा का भराव लिये जाने पर ऐसी अतिरिक्त मदिरा का समायोजन अन्य त्रैमास या वार्षिक गारण्टी राशि में नहीं कराया जा सकेगा।

2.9.9 एक त्रैमास में निर्धारित **वार्षिक गारण्टी राशि** के प्रतिशत से कम अनुपात में मदिरा का उठाव करने पर अनुज्ञाधारी को उस त्रैमास हेतु निर्धारित **वार्षिक गारण्टी राशि** की शेष राशि एवं परिगणित (Calculated) बेसिक लाईसेंस फीस की राशि पृथक से नकद जमा करानी होगी। इस संबंध में विस्तृत निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेगें।

2.9.10 **मासिक राशि के कोटे को अन्य अनुज्ञाधारी को स्थानान्तरित करने की व्यवस्था** – मासिक राशि की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में एक अनुज्ञाधारी अपने समान अन्य अनुज्ञाधारी को अपने बुनियादी अंश (Basic Quota) के त्रैमासिक आधार पर अपने कोटे के अंश विशेष को स्थानान्तरित करने की अनुमति दी जा सकेगी। इस बाबत बिक्री की शर्तें अंश विशेष को प्राप्त करने वाले अनुज्ञाधारी तथा अंश विशेष को देने वाले अनुज्ञाधारी द्वारा पारस्परिक आधार पर तय की जा सकेगी। स्थानान्तरित मात्रा को देने वाले के कोटे से कम किया जावेगा परन्तु मासिक राशि में कोई बदलाव किया नहीं माना जायेगा। इस प्रकार के कोटे का आपसी स्थानान्तरण ऑनलाईन स्वतः स्वीकृत किया जाने की व्यवस्था की जावेगी। इस प्रकार के कोटे के स्थानान्तरण हेतु 10 रूपये प्रति बल्क लीटर राजकोष में कोटा देने वाले अनुज्ञाधारी द्वारा ट्रांसफर फीस के रूप में जमा कराना होगा, परन्तु, उपर्युक्त प्रावधान के अन्तर्गत सम्बन्धित आबकारी जिले में ही स्थानान्तरण अनुमत होगा।

उक्त स्थानान्तरण कोटे की मात्रा देने वाले अनुज्ञाधारी की **वार्षिक गारण्टी राशि** के 20 प्रतिशत की मात्रा तक ही अनुमत होगा। साथ ही कोई भी ऐसी मात्रा प्राप्त करने वाला अनुज्ञाधारी भी अपने **वार्षिक गारण्टी राशि** के

20 प्रतिशत की मात्रा से अधिक प्राप्त नहीं कर सकेगा। आगामी वर्ष में **वार्षिक गारण्टी राशि** निर्धारण में इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा।

2.9.11 **अग्रिम वार्षिक गारण्टी राशि :**

2.9.11.1 अनुज्ञाधारी द्वारा संबंधित वर्ष के लिये निर्धारित **वार्षिक गारण्टी राशि** की 5 प्रतिशत राशि अग्रिम **वार्षिक गारण्टी राशि** के रूप में जमा कराना होगा। वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिये यह दिनांक 14.03.2022 तक तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये दिनांक 14.03.2023 तक राजकोष में जमा करानी होगी। ऑनलाइन निलामी द्वारा दुकान के आवंटन की स्थिति में यह राशि निलामी की शर्तों में निर्धारित तिथि तक जमा करानी होगी।

2.9.11.2 इस 5 प्रतिशत अग्रिम **वार्षिक गारण्टी राशि** का संबंधित वित्तीय वर्ष के माह फरवरी तथा माह मार्च में निर्धारित मासिक गारण्टी पूर्ति के लिये मदिरा निर्गम हेतु देय आबकारी ड्यूटी एवं अतिरिक्त आबकरी ड्यूटी में समायोजन किया जा सकेगा।

2.10 कम्पोजिट फीस/वार्षिक लाईसेंस फीस :

2.10.1 वित्तीय वर्ष 2022–23 से मदिरा की खुदरा दुकानों से कम्पोजिट फीस के स्थान पर प्रति वर्ष वार्षिक लाईसेन्स फीस ली जायेगी। वार्षिक लाईसेंस फीस की राशि दुकान की संबंधित वर्ष के लिये निर्धारित वार्षिक गारंटी राशि के 5 प्रतिशत के बराबर होगी।

2.10.2 वार्षिक लाईसेंस फीस की 50 प्रतिशत राशि वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिये दिनांक 14.03.2022 तक तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये दिनांक 14.03.2023 तक राजकोष में जमा करानी होगी। ऑनलाइन निलामी द्वारा दुकान के आवंटन की स्थिति में यह राशि निलामी की शर्तों में निर्धारित तिथि तक जमा करानी होगी।

2.10.3 वार्षिक लाईसेन्स फीस की शेष 50 प्रतिशत राशि संबंधित वर्ष के द्वितीय तथा तृतीय त्रैमास में समान किश्तों में जमा करायी जायेगी। अनुज्ञाधारी द्वारा वार्षिक गारंटी राशि के आधार पर निर्धारित त्रैमासिक गारण्टी राशि की पूर्ति किये जाने पर वार्षिक लाईसेंस फीस की इस 50 प्रतिशत राशि के पेटे मदिरा का भराव दिया जा सकेगा। परन्तु इस भराव के विरूद्ध उठाई जाने वाली देशी मदिरा व RML की बेसिक लाईसेंस फीस में बिन्दु संख्या 2.11.2 के अनुसार छूट का लाभ देय नही होगा। इसके लिये विस्तृत निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेंगे।

2.11 बेसिक लाइसेंस फीस :

2.11.1 खुदरा अनुज्ञाधारियों द्वारा देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा के लिये आबकारी शुल्क के साथ बेसिक लाइसेंस फीस भी जमा कराई जायेगी।

2.11.2 ऐसे अनुज्ञाधारी जिनके विरूद्ध कोई बकाया गारण्टी शेष नहीं हो उनके द्वारा अपनी त्रैमासिक गारण्टी से अधिक देशी मदिरा या राजस्थान निर्मित मदिरा का उठाव करने पर गारण्टी राशि के अतिरिक्त उठाई गई मदिरा पर बेसिक लाइसेंस फीस में 25 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेंगें।

2.12 धरोहर राशि :

2.12.1 संबंधित वर्ष के लिये निर्धारित **वार्षिक गारण्टी राशि** की 5 प्रतिशत राशि, धरोहर राशि के रूप में जमा करायी जायेगी।

2.12.2 नवीनीकरण की प्रक्रिया में वर्ष 2022–23 व 2023–24 के लिये निर्धारित धरोहर राशि के पेटे क्रमशः वर्ष 2021–22 व 2022–23 हेतु जमा धरोहर राशि को समायोजित कराकर अन्तर राशि निर्धारित अवधि में जमा करायी जायेगी।

2.12.3 ऑनलाईन निलामी द्वारा आवंटित दुकानों के लिये धरोहर राशि निलामी की शर्तों के अनुसार जमा करानी होगी।

2.13 मॉडल शॉप :

2.13.1 राज्य में जयपुर तथा अन्य शहरों में आवश्यकतानुसार वातानुकूलित आदि की सुविधायुक्त मॉडल शॉप RSBCL को वार्षिक लाईसेंस फीस पर आवंटित की जायेगी। इन मॉडल शॉप द्वारा प्रीमियम मदिरा, हेरिटेज मदिरा, प्रीमियम वाईन व प्रीमियम बीयर तथा Accessories का ही विक्रय अनुमत होगा। इस सम्बन्ध में प्रीमियम श्रेणी का निर्धारण RSBCL द्वारा किया जायेगा।

2.13.2 राजस्थान राज्य ब्रेबरीज कोर्पोरेशन लिमिटेड (RSBCL) द्वारा निजी भागीदारों के माध्यम से मॉडल शॅाप का संचालन किया जायेगा।

2.13.3 मॉडल शॅाप के संचालन हेतु RSBCL को दुकानों का आवंटन जयपुर शहर के लिये 26 लाख रुपये, जोधपुर व उदयपुर शहर के लिये 20 लाख रुपये व अन्य शहरों के लिये 15 लाख रुपये की वार्षिक लाईसेन्स फीस पर किया जायेगा।

2.13.4 RSBCL द्वारा मॉडल शॅाप के संचालन हेतु वार्षिक लाईसेन्स फीस के आधार पर तीन वर्षों के लिये आवंटन हेतु ऑनलाईन निलामी की जायेगी। ऑनलाईन निलामी में प्राप्त अधिकतम लाईसेन्स फीस पर मॉडल शॉप का आवंटन RSBCL द्वारा किया जायेगा। निलामी द्वारा आवंटित मॉडल शॅाप के संचालन की अवधि को निर्धारित शर्तों पर 2 वर्ष के लिये और बढ़ाने का प्रावधान भी होगा। ऑनलाईन निलामी की शर्ते RSBCL द्वारा निर्धारित की जायेगी। इन दुकानों के लिये मदिरा उठाव की न्यूनतम गारण्टी राशि का प्रावधान नहीं होगा।

2.13.5 ऑनलाईन निलामी से प्राप्त अतिरिक्त लाईसेन्स फीस का 50 प्रतिशत RSBCL द्वारा राजकोष में जमा कराया जायेगा।

2.14 ऐयरपोर्ट शॉप :

2.14.1 ऐयरपोर्ट ऑथोरिटी की मांग अनुसार अन्य राज्यों की तर्ज पर राज्य के सभी ऐयरपोर्टस पर वार्षिक लाईसेन्स फीस के आधार पर मदिरा की दुकानों के लिये लाईसेन्स जारी किये जायेगे। इन दुकानों पर मॉडल शॉप के अनुरूप प्रीमियम मदिरा, हेरिटेज मदिरा, प्रीमियम वाईन व प्रीमियम बीयर तथा Accessories का ही विक्रय अनुमत होगा तथा मदिरा उठाव की न्यूनतम गारण्टी राशि का प्रावधान नहीं होगा।

2.14.2 ऐयरपोर्ट शॉप का आवंटन ऐयरपोर्ट ऑथोरिटी की अभिशंषा अनुसार जयपुर ऐयरपोर्ट के लिये 20 लाख रुपये व अन्य शहरों के लिये 10 लाख रुपये की वार्षिक लाइसेंस फीस पर किया जायेगा।

2.14.3 इन दुकानों के संबंध में विस्तृत निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेगे।

2.15 राजस्थान पर्यटन विकास निगम को उनके उपलब्ध परिसर में रिटेल ऑफ दुकानों को स्थापित करने की अनुमति वार्षिक लाईसेन्स फीस के आधार पर दी जायेगी। इन दुकानों के लिये भी मदिरा उठाव की न्यूनतम गारण्टी राशि का प्रावधान नहीं होगा। इसके लिये राज्य सरकार द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये जा सकेंगे।

2.16 BIO Bond :

2.16.1 RSBCL द्वारा निजी भागीदारों के माध्यम से फ्रेन्चाइजी के रूप में राज्य में BIO Bond की स्थापना की जा सकेगी।

2.16.2 BIO Bond की स्थापना पर राजस्थान आबकारी नियम 68(13) के अन्तर्गत होलसेल वेन्ड फीस जमा कराई जायेगी, राजस्थान आबकारी नियम 68 (13 सी) के अनुसार लाइसेंस फीस नहीं ली जायेगी। राज्य में स्थापित BIO Bond के माध्यम से आपूर्ति करने के स्थान पर राज्य में सीधे BIO की आपूर्ति किये जाने पर पूर्वानुसार प्रावधान लागू रहेंगे।

2.16.3 RSBCL द्वारा फ्रेन्चाइजी के माध्यम से स्थापित BIO Bond के लिये होलसेल वेंड फीस का भुगतान RSBCL द्वारा किया जायेगा तथा फ्रेन्चाइजी से फ्रेन्चाइजी फीस RSBCL द्वारा ली जायेगी। फ्रेन्चाइजी फीस का निर्धारण RSBCL द्वारा किया जायेगा।

2.16.4 निजी भागीदारों के माध्यम से फ्रेन्चायजी BIO Bond की स्थापना की प्रक्रिया एवं अन्य शर्तें आदि RSBCL द्वारा निर्धारित की जायेगी।

2.17 राज्य में सीमा सुरक्षा बल (BSF) के अनुरूप रिटेल ऑफ लाईसेन्स व आबकारी ड्यूटी में रियायत की सुविधा भारत–तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) की राज्य में स्थित यूनिटस को भी प्रदान की जायेगी।

(3) देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) :

3.1 वित्तीय वर्ष 2022–23 में 40, 50, 60 यू.पी. ENA/Rectified Sprit निर्मित देशी मदिरा **तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 में (दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से) राज्य में केवल ENA से निर्मित 40, 50, 60 यू.पी. की देशी मदिरा का उत्पादन एवं विक्रय किया जाना अनुमत होगा।**

3.2 वित्तीय वर्ष 2022–23 व 2023–24 में 25 यू.पी. ''राजस्थान निर्मित मदिरा'' (RML) जो ईएनए निर्मित होगी, का उत्पादन एवं आपूर्ति निम्नानुसार रखे जाने का निर्णय लिया गया है:–

''राजस्थान निर्मित मदिरा'' (RML) 25 यू.पी. की ईएनए से निर्मित उच्च गुणवत्ता युक्त मदिरा होगी, जिसमें व्हिस्की, रम, वोदका, जिन आदि के ब्राण्ड होंगे, जिसका राजस्थान में स्थित देशी मदिरा का उत्पादन एवं बाटलिंग करने वाली ईकाइयों द्वारा ही उत्पादन एवं आपूर्ति की जा सकेगी। उत्पादन एवं आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं होने पर इसके लिये राज्य सरकार द्वारा आवश्यक निर्णय लिया जा सकेगा। राजस्थान निर्मित मदिरा हेतु विशिष्ट उल्लेख के अलावा अन्य प्रावधान देशी मदिरा के लगेंगे।

3.3 40, 50 एवं 60 यू.पी. की देशी मदिरा की 180 मिली धारिता पात्र की आपूर्ति पेट/ग्लास/एसेप्टिक पैक में की जा सकेगी तथा राजस्थान निर्मित मदिरा (आरएमएल) की धारिता 180 मिली में होगी जो ग्लास पात्र तथा एसेप्टिक पैक में अनुमत होगी एवं अन्य धारिता की आपूर्ति ग्लास पात्र में ही की जायेगी।

3.4 वित्तीय वर्ष 2022–23 व 2023–24 में देशी मदिरा तथा राजस्थान निर्मित मदिरा आपूर्ति का अनुपात राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स का 35 प्रतिशत तथा निजी डिस्टीलरीज एवं बोटलिंग प्लांट का संयुक्त रूप से 65 प्रतिशत होगा। निजी डिस्टीलरीज एवं बोटलिंग प्लांट के संयुक्त रूप से 65 प्रतिशत हिस्से में से निजी बोटलिंग प्लांट का हिस्सा 10 प्रतिशत रखे जाने का निर्णय लिया गया है। आपूर्ति का यह अनुपात इंडिकेटिव है, राज्य सरकार द्वारा मांग की स्थिति, मदिरा की गुणवत्ता व आपूर्ति एवं अन्य आवश्यक परिस्थितियों में इस अनुपात में परिवर्तन किया जा सकेगा।

3.5 देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा की आपूर्ति का राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स का निर्धारित हिस्सा राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स/RSBCL द्वारा समय समय पर क्षेत्रवार तय किया जायेगा एवं जो अनुपात RSGSM/RSBCL द्वारा क्षेत्र विशेष के लिये निर्धारित किया गया है उसका उठाव अनुज्ञाधारियों द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।

3.6 राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. संविदा आधारित भराई व्यवस्था के अन्तर्गत निजी बोटलर्स से भी देशी मदिरा तथा राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) मदिरा भराई करवा सकेगा।

3.7 **देशी मदिरा का आयात** :–वर्ष 2021–22 की व्यवस्था के अनुरूप वर्ष 2022–23 व 2023–24 के दौरान राज्य में देशी मदिरा की सप्लाई में कमी की स्थिति में

राज्य सरकार राज्य के बाहर से भी देशी मदिरा के आयात की अनुमति प्रदान कर सकेगी।

3.8 **देशी मदिरा उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला प्रासव** :— राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. एवं निजी क्षेत्र के बोटलर्स के द्वारा शोधित प्रासव/ईएनए का आयात अन्य राज्यों से किया जाता है। शोधित प्रासव/ईएनए के आयात में ग्रेन आधारित एवं मोलासेस आधारित शोधित प्रासव/ईएनए का अनुपात यथावत क्रमशः 90 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत निर्धारित किया जाता है। बिन्दु संख्या 3.1 में किये गये प्रावधान अनुसार दिनांक 1 अप्रैल, 2023 से राज्य में मदिरा निर्माण के लिये शोधित प्रासव (RS) का आयात अनुमत नहीं होगा।

3.9 मदिरा भराई के लिये उपयोग में लाई जाने वाली पेट/ग्लास/एसेप्टिक पैक की गुणवत्ता के विषय में आबकारी आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों की पालना उत्पादनकर्त्ताओं द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।

3.10 **देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा का थोक निर्गम मूल्य, बोटलिंग फीस व होलसेलर मार्जिन :**

3.10.1 वर्ष 2021—22 हेतु 40 यू.पी., 50 यू.पी. एवं 60 यू.पी. देशी मदिरा के पेट पव्वों के एक कार्टन का थोक निर्गम मूल्य क्रमशः रूपये 490/—, 455/— तथा 320/— निर्धारित है। 40 यू.पी. ग्लास/एसेप्टिक पैक के कार्टन का निर्गम मूल्य रूपये 540/— तथा 50 यू.पी. व 60 यू.पी. एसेप्टिक पैक के कार्टन का क्रमशः रूपये 470/— व रूपये 320/— निर्धारित है। राजस्थान निर्मित मदिरा के ग्लास एवं एसेप्टिक पैक का एक कार्टन का थोक निर्गम मूल्य क्रमशः रूपये 640/— व 630/— निर्धारित है।

3.10.2 देशी मदिरा के थोक निर्गम मूल्य में 10 रूपये प्रति कार्टन एवं राजस्थान निर्मित मदिरा के थोक निर्गम मूल्य में 30 रूपये प्रति कार्टन वृद्धि करते हुए वर्ष 2022—23 व 2023—24 के लिये इनका निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है:—

क्र. सं	मदिरा की किस्म	पव्वों के प्रति कार्टन का निर्गम मूल्य (रुपये में)		
		ग्लास	पेट	एसेप्टिक पैक
देशी मदिरा				
1.	40 यू.पी.	550	500	550
2.	50 यू.पी.	——	465	480
3.	60 यू.पी.	——	330	330
राजस्थान निर्मित मदिरा				
1.	25 यू.पी.	670	——	660

3.10.3 थोक निर्गम मूल्य में देशी मदिरा (RML के अलावा) के थोक अनुज्ञाधारी का मार्जिन भी सम्मिलित है जो वर्तमान में 13.1 प्रतिशत निर्धारित है। वर्ष 2022—23 व 2023—24 के लिये होलसेलर मार्जिन को घटाकर

11 प्रतिशत निर्धारित किया जाता है। देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा के निर्गम मूल्य में आवश्यक होने पर राज्य सरकार द्वारा संशोधन किया जा सकेगा।

3.10.4 थोक निर्गम मूल्य में वृद्धि के अलावा देशी मदिरा व राजस्थान निर्मित मदिरा पर बॉटलिंग फीस की वर्तमान दर 6 रूपये प्रति बल्क लीटर में 1 रूपये प्रति बल्क लीटर की कमी करते हुए वर्ष 2022—23 व 2023—24 के लिये 5 रूपये प्रति बल्क लीटर निर्धारित किया जाता है।

3.10.5 बिन्दु सुख्या 3.10.2, 3.10.3 व 3.10.4 के अनुसार थोक निर्गम मूल्य में वृद्धि तथा बोटलिंग फीस व होलसेलर मार्जिन में कमी के कारण देशी मदिरा व राजस्थान निर्मित मदिरा के निर्माताओं के लिये पव्वों के एक कार्टन पर कुल प्रभाव (ईडीपी में वृद्धि तथा बोटलिंग फीस व होलसेलर मार्जिन में बचत के रूप में) क्रमशः रूपये 28.93 तथा रूपये 38.64 प्रति कार्टन का होगा।

3.10.6 मदिरा उत्पादन हेतु प्रयुक्त प्रासव, पात्र एवं अन्य विविध खर्चों के आधार पर पव्वों के कार्टन के किये गये निर्गम मूल्य निर्धारण के अनुरूप ही अद्धा एवं बोतल के कार्टन के निर्गम मूल्य का निर्धारण आबकारी आयुक्त द्वारा किये जाने की व्यवस्था को यथावत रखा जाता है।

3.10.7 वर्ष 2021—22 के अनुरूप ही 40 यू.पी. देशी मदिरा पात्रों के ढक्कन एवं लेबल्स लाल रंग के होंगे तथा लेबल्स पर सुस्पष्ट (Conspicuous) रूप से ''स्ट्रोंग मदिरा'' अंकित किया जाना तथा 50 एवं 60 यू.पी. देशी मदिरा पात्रों के ढक्कन एवं लेबल्स का नीला रंग रखे जाने का निर्णय यथावत रखा जाता है।

3.11 देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा पर आबकारी ड्यूटी एवं शुल्क :—

3.11.1 देशी मदिरा तथा राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) पर आबकारी शुल्क तथा बेसिक लाईसेंस फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:—

क्र. सं.	मदिरा का प्रकार	आबकारी शुल्क प्रति एलपीएल (राशि रूपयों में)	बेसिक लाईसेंस फीस प्रति बल्क लीटर (राशि रूपयों में)
1	देशी मदिरा	185	46
2	राजस्थान निर्मित मदिरा (RML)	200	80

3.11.2 बेसिक लाईसेंस फीस की वसूली अनुज्ञाधारियों से आबकारी ड्यूटी के साथ की जावेगी।

3.11.3 राजस्थान निर्मित मदिरा पर 100 प्रतिशत तथा देशी मदिरा पर 10 प्रतिशत आबकारी ड्यूटी निर्माता एवं आपूर्तिकर्ताओं द्वारा राजकोष में अग्रिम भुगतान करना होगा एवं रिटेलर्स से वसूली उपरान्त निर्माताओं तथा आपूर्तिकर्ताओं को पुर्नभरण RSGSM/RSBCL द्वारा किया जायेगा। विस्तृत दिशा निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेगे।

3.11.4 राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) एवं देशी मदिरा हेतु न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य के साथ अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य को भी तय किया जाने का प्रावधान किया जाता है। इस अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य के

साथ साथ न्यूनतम विक्रय मूल्य में भी फुटकर विक्रेता का मार्जिन शामिल किया गया है। उक्त दोनों मूल्यों को लेबल पर बड़े एवं स्पष्ट अक्षरों में अंकित किया जावेगा। अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक पर बेचान पर कड़ी कार्रवाही का प्रावधान रहेगा।

3.11.5 देशी मदिरा ग्लास/पेट/एसेप्टिक पैक एवं राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) के ग्लास/एसेप्टिक पव्वों का न्यूनतम एवं अधिकतम फुटकर मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:–

क्र. सं.	मदिरा का प्रकार	180 एमएल निप्स का न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य (राशि रूपयों में)	180 एमएल निप्स का अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य (राशि रूपयों में)
1.	देशी मदिरा 40 यूपी ग्लास	50	60
2.	देशी मदिरा 40 यूपी पेट	49	58
3.	देशी मदिरा 40 यूपी एसेप्टिक पेक	50	60
4.	देशी मदिरा 50 यूपी पेट	43	52
5.	राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) एसेप्टिक पेक	70	84
6.	राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) ग्लास पात्र	71	85

3.11.6 देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा के परमिट फीस की दर को रिटेलर्स के लिये 1 रूपया प्रति बल्क लीटर तथा सभी आपूर्तिकर्ताओं के लिये 1000 रूपये प्रति परमिट वर्ष 2021–22 के अनुसार यथावत रखा जाता है।

(4) भारत निर्मित विदेशी मदिरा/BII/BIO/Beer/Wine/RTD :

4.1 भारत निर्मित विदेशी मदिरा, BII, BIO, BEER, वाईन व RTD पर आबकारी ड्यूटी/अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी (BIO पर लाईसेन्स फीस) एवं रिटेलर मार्जिन निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

(a) IMFL Duty Slab:

एक्स डिस्टलरी मूल्य (EDP) (रुपये में)	आबकारी शुल्क प्रति एलपीएल (राशि रूपयों में)	अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी (%)	रिटेलर मार्जिन (ईडीपी का प्रतिशत)
770 तक	274	28	112
770 से अधिक 1000 तक	280	29	111
1000 से अधिक 1250 तक	310	36	101

1250 से अधिक 1450 तक	311	40	92
1450 से अधिक 2000 तक	315	41	85
2000 से अधिक 5000 तक	330	49	69
5000 से अधिक 8000 तक	370	49	58
8000 से अधिक 10000 तक	371	49	45
10000 से अधिक	372	49	40

(b) BII Duty Slab:

एक्स डिस्टलरी मूल्य (EDP) (रुपये में)	आबकारी शुल्क प्रति एलपीएल (राशि रूपयों में)	अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी (%)	रिटेलर मार्जिन (ईडीपी का प्रतिशत)
6000 तक	335	60	60
6000 से अधिक 8000 तक	340	56	50
8000 से अधिक 10000 तक	345	48	50
10000 से अधिक	450	48	50

(c) BIO Duty Slab:

बेसिक प्राईस (रुपये में)	लाईसेन्स फीस (ad-valorem of Basic Price + Import Fee %)	रिटेलर मार्जिन (बेसिक प्राईस का प्रतिशत)
3100 तक	75	54
3100 से अधिक 6000 तक	70	52
6000 से अधिक 8000 तक	55	47
8000 से अधिक 50000 तक	45	47
50000 से अधिक	40	47
वाईन	40	BIO की स्लेब के अनुसार

(d) Beer Duty Slab:

एक्स ब्रेवरी मूल्य (EBP) (रुपये में)	आबकारी शुल्क (ad-valorem)	अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी (%)	रिटेलर मार्जिन (ईबीपी का प्रतिशत)
स्ट्रोग बीयर (5 प्रतिशत से अधिक स्ट्रेन्थ)			
290 तक	156 प्रतिशत	31	84
290 से अधिक	156 प्रतिशत	23	79
माईल्ड बीयर (5 प्रतिशत से कम स्ट्रेन्थ)			
400 तक	156 प्रतिशत	12	79
400 से अधिक	156 प्रतिशत	11	82

(e) भारत में निर्मित वाईन एवं आरटीडी पर आबकारी शुल्क–40 प्रतिशत तथा राजस्थान निर्मित वाईन पर 4 प्रतिशत ad-valorem होगा। साथ ही अतिरिक्त आबकारी शुल्क 30 प्रतिशत निर्धारित किया जाता है। भारत निर्मित वाईन तथा राजस्थान निर्मित वाईन पर रिटेलर मार्जिन IMFL Duty Slab बिन्दु संख्या 4.1(a) के अनुसार होगा। RTD पर रिटेलर मार्जिन EDP का 50 प्रतिशत निर्धारित किया जाता है।

4.2 भारत निर्मित विदेशी मदिरा, BII, BIO, BEER, वाईन व RTD के अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य के आगणन में RSBCL की कोस्ट शीट में प्राप्त गणना में पैसों को आगामी रूपया में राउण्ड ऑफ की राशि RSBCL की आय होगी एवं इस प्रकार से प्राप्त अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य को आगामी 0 अथवा 5 जो भी पहले हो गुणांक में अगले स्तर पर निर्धारित किया जावेगा तथा अन्तर की धनराशि रिटेलर की आय होगी।

4.3 Bottled in India (BII) मदिरा को निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है –
"Liquor distilled and blended in foreign countries and imported in India in concentrated form in High Bucket Spirits (HBS) or Concentrated Bucket Spirits (CBS) and after reduction process bottled in India"

4.4 IMFL, BEER, BIO व BII मदिरा ग्लास, कैन, फूडग्रेड पैट एवं मैटल पैकिंग में भी सप्लाई की जा सकेगी। वाईन पैकेजिंग, उत्पादन एवं विक्रय सभी धारिताओं में ग्लास एवं एसेप्टिक पैक में अनुमत होगा।

4.5 IMFL मदिरा में एक ब्रांड का नया वैरिएंट सप्लायर द्वारा प्रस्तावित करने पर प्रस्तावित नये वैरिएंट की MRP मे वर्तमान में प्रचलित वैरिएंट से अन्तर 100 रुपये से कम होने की स्थिति में इसकी दर का अनुमोदन राज्य सरकार की अनुमति उपरान्त किया जायेगा।

4.6 BIO के लिये अपनायी जा रही प्रक्रिया के अनुरूप अन्य राज्यों से राज्य में बिक्री हेतु आपूर्ति की गई IMFL, BII, वाईन, आरटीडी व Beer पर CST की राशि को आबकारी शुल्क व अतिरिक्त आबकारी शुल्क की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

4.7 एक्स डिस्टलरी प्राइस, एक्स ब्रेवरी प्राइस में संशोधन–

4.7.1 भानिविम (IMFL), BII, वाईन व आरटीडी की EDP में 52 रूपये प्रति केस की वृद्धि अनुमत की जाती है।

4.7.2 Beer की एक्स ब्रूवरी प्राइस (EBP) में 30 रुपये प्रति केस की वृद्धि अनुमत की जाती है।

4.8 बोटलिंग अनुज्ञापन फीस –

4.8.1 वर्तमान में IMFL पर बोटलिंग फीस 6 रूपये व Beer पर 4 रूपये बल्क लीटर निर्धारित है। इन दरों में कमी करते हुए वर्ष 2022–23 व 2023–24 के लिये भानिविम पर बोटलिंग फीस 4 रुपये प्रति बल्क लीटर व Beer पर 3 रुपये प्रति बल्क लीटर निर्धारित की जाती है, परन्तु Beer

निर्माण इकाई द्वारा इकाई की कुल उत्पादन क्षमता के 60% से कम उत्पादन किये जाने पर 4 रूपये प्रति बल्क लीटर व उत्पादन क्षमता के 50% से भी कम उत्पादन किये जाने पर 5 रूपये प्रति बल्क लीटर की दर से बोटलिंग फीस जमा करानी होगी।

4.8.2 Beer निर्माण इकाईयों को इकाई की उत्पादन क्षमता के अनुसार अधिकतम उत्पादन किये जाने पर निम्नानुसार बोटलिंग फीस में छूट दी जायेगी :–

Production against installed Capacity	Discount in Bottling Fees (Per Bulk Litre)
upto 70%	NIL
Above 70 % but up to 80 %	Rs. 1 Per BL
Above 80%	Rs. 2 Per BL

यह छूट राजस्थान में विक्रय के लिये उत्पादित RSBCL को आपूर्ति की गई Beer पर उपरोक्त निर्धारित स्लैब में किये गये उत्पादन की मात्रा के अनुसार ही देय होगी।

4.9 बिन्दु संख्या 4.7 व 4.8.1 के अनुसार ईडीपी व ईबीपी में वृद्धि तथा बोटलिंग फीस में कमी के फलस्वरूप IMFL व Beer के निर्माताओं के लिये कुल प्रभाव प्रति केस क्रमशः रूपये 70 व रूपये 37.80 का होगा।

4.10 **माईक्रो ब्रुवरी** – राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने एवं रोजगार सृजन हेतु होटल, रेस्टोरेन्ट एवं क्लब बार अनुज्ञाधारियों को माईक्रो ब्रुवरी स्थापना एवं संचालन की अनुमति दी जाती है। इसकी वार्षिक लाईसेन्स फीस 5 लाख रुपये एवं आबकारी ड्यूटी 40 रुपये प्रति बल्क लीटर दैनिक उत्पादन क्षमता पर निर्धारित की जाती है।

(5) आबकारी ड्यूटी पर सरचार्ज :

प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं पर खर्च के उद्देश्य से वर्ष 2020–21 में समस्त मदिरा उत्पादों पर पात्र की साईज के अनुसार भिन्न–भिन्न दर से सरचार्ज (Calamity Cess) लागू किया गया था। वर्ष 2021–22 की आबकारी एवं मद्यसंयम नीति द्वारा भारत निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL) तथा विदेशी आयातित मदिरा (BIO) के अलावा अन्य आबकारी उत्पादों पर उक्त सरचार्ज को समाप्त कर दिया गया। वर्ष 2022–23 से भारत निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL) तथा विदेशी आयातित मदिरा (BIO) से भी उक्त सरचार्ज को समाप्त किया जाता है।

(6) निर्माण इकाईयों की लाईसेंस फीस का निर्धारण :–

6.1 निर्माण इकाईयों की वार्षिक लाईसेन्स फीस को यथावत रखते हुए निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:–

किस्म अनुज्ञापत्र	उत्पादन क्षमता (किलो लीटर में)	वार्षिक लाईसेन्स फीस 2022–23 व 2023–24 (लाख रूपये में)
डिस्टलरी (प्रतिदिन आंकड़े)	30 तक	45.00
	30 से अधिक एवं 50 तक	55.00
	50 से अधिक एवं 75 तक	70.00
	75 से अधिक	75.00
ब्रेबरी (प्रतिवर्ष आंकड़े हजार किलो लीटर में)	30 तक	40.00
	30 से अधिक एवं 50 तक	45.00
	50 से अधिक एवं 75 तक	65.00
	75 से अधिक	75.00
बोटलिंग प्लांट	देशी मदिरा भराई	4.00
	भानिवि मदिरा भराई	12.00
	वाईनरी भराई	0.50
हेरीटेज प्लांट	–	8.00
वाईनरी	–	10.00

6.2 निर्माण इकाईयों में फ्रेन्चाईजी व सबलैटिंग के लिये मूल लाईसेंस फीस की 50 प्रतिशत के स्थान पर 25 प्रतिशत लाईसेंस फीस निर्धारित की जाती है।

(7) हेरीटेज मदिरा :–

हेरीटेज मदिरा के उत्पादों में विविधता लाने एवं उत्पाद को अन्य राज्यों तथा विदेशों में निर्यात की सम्भावना के दृष्टिगत वर्ष 2021–22 की आबकारी एवं मद्यसंयम नीति में हेरीटेज मदिरा के लिये RSGSM द्वारा अन्य राज्यों एवं विदेश में वितरण एवं मार्केटिंग हेतु फ्रेन्चाइजी नियुक्त करने हेतु RSGSM को अधिकृत किये जाने का नीतिगत निर्णय लिया गया है। RSGSM द्वारा यह कार्यवाही वित्तीय वर्ष 2022–23 में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) रिटेल ऑन (Retail-on) : होटल/क्लब/रेस्टोरेण्ट बार :–

8.1 सभी श्रेणी के होटल बार अनुज्ञापत्रों की प्रारंभिक लाईसेन्स फीस को निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है:–

Initial Fee for Hotel/Club Bar

S.No.		Category	Initial Fee for Year or Part there of (Rs. in Lac) Basic Licence Fee 2022-23 & 2023-24		
1		2	3		
1.		Luxury Hotel/Train:			
	(i)	Five Star Hotel	16.00		
	(ii)	Four Star Hotel	11.00		
	(iii)	Three Star Hotel	8.50		
	(iv)	Luxury Train	8.50		
2.		Heritage Hotel : Situated in and within:	Upto 10 Rooms	11 to 25 Rooms	More than 25 Rooms
	(i)	Within urbanisable limit of Jaipur, Jodhpur, Udaipur, MT Abu, Jaisalmer and limit upto 10 KM periphery of Kumbhalgarh Fort	2.00	3.50	4.00

	(ii)	Within urbanisable limit of other Divisional/District HQS, Bhiwadi, UIT Urbanisable limit; Ranakpur Temple and Ranthambhor National Park's 5 KM periphery limit.	1.00	2.50	3.50
	(iii)	Other areas not covered 2(i) and 2(ii)	0.50	1.25	1.75
3.	Other Hotel : Situated in and within:		**Upto 50 Rooms**	**51 to 100 Rooms**	**More than 100 Rooms**
	(i)	Within urbanisable limit of Jaipur, Jodhpur, Udaipur	8.00	10.00	15.00
	(ii)	Within urbanisable limit of MT Abu, Jaisalmer and limit upto 10 KM periphery of Kumbhalgarh Fort	6.00	10.00	15.00
	(iii)	Within urbanisable limit of other Divisional/District HQS, Bhiwadi, UIT Urbanisable limit; Ranakpur Temple and Ranthambhor National Park's 5 KM periphery limit.	5.00	7.50	9.50
	(iv)	Other areas not covered 3(i) and 3(ii)	3.00	3.50	4.00
4.	Civil Club Bar:				
	(i)	In Jaipur, Jodhpur and Udaipur	2.00		
	(ii)	In other Places	1.50		
	Fee for Serial No.4 Civil Club Bar related to Government Servant or News Media Persons shall be granted at 50% of Serial Number 4(i) and 4(ii)				
5.	Commercial Club Bar:				
	(i)	In Jaipur, Jodhpur and Udaipur	6.00		
	(ii)	In other Places	4.00		

Explanation: The counting of rooms for heritage hotel category includes the number of newly constructed rooms and old traditional rooms.

8.2 रेस्टोरेंट बारः सभी श्रेणी के रेस्टोरेंट बार अनुज्ञापत्रों की प्रारंभिक लाईसेन्स फीस को निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :–

क्र. सं.		**रेस्टोरेंट की श्रेणी**	**प्रारंभिक फीस वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 (रु0 लाख में)**
1		2	3
1.	वे रेस्टोरेंट जो इन स्थानों पर और इनकी नगरीकरण (urbanisable) योग्य सीमा में स्थित हो–		
	(a)	जयपुर मुख्यालय	8.00
	(b)	जोधपुर मुख्यालय	7.00
	(c)	अन्य सम्भाग मुख्यालय, अन्य जिला मुख्यालय जिसमें नगरपालिका लिमिट माउण्ट आबू, जैसलमेर के नगरीकरण (urbanisable) योग्य सीमा एवं अन्य नगरपालिका, भिवाडी यू.आई.टी. क्षेत्र तथा कुम्भलगढ़ किले के 10 किलोमीटर परिधीय क्षेत्र।	5.00
2.	अन्य रेस्टोरेंट जो उपरोक्त (a) से (c) स्थानों में शामिल नहीं।		3.00

8.3 जैसलमेर, माउंट आबु, रणकपुर, जवाई, सवाई माधोपुर, कुम्भलगढ, पुष्कर इत्यादि पर्यटक स्थलों में सीजनल/वार्षिक बार लाइसेंस Swiss tent जैसी अस्थायी संरचना में संचालित करने हेतु जारी किये जा सकेंगे।

8.3.1 इसके लिये न्यूनतम 10 tent तथा स्थानीय निकाय से अनुमति या फूड लाईसेन्स व जीएसटीएन अनिवार्य होगा।

8.3.2 न्यूनतम 6 माह अथवा वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक, जो भी पहले हो के लिये लाइसेंस उस क्षेत्र की होटल बार लाइसेंस फीस की 50 प्रतिशत राशि पर जारी किये जा सकेंगे।

8.3.3 एक वर्ष के लिये लाईसेन्स उस क्षेत्र की होटल बार लाइसेंस फीस की 75 प्रतिशत राशि पर जारी किये जा सकेंगे।

8.4 होटल एवं रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञापत्रों में सरलीकरण :–

8.4.1 होटल बार लाइसेंस 5 वर्ष के लिये एक साथ जारी करने का प्रावधान किया जाता है। अनुज्ञाधारी द्वारा 4 वर्ष की लाईसेंस फीस एक साथ जमा कराने पर उसे 5 वर्ष के लिये लाईसेंस जारी किया जायेगा अर्थात 5 वर्ष के लिये एक साथ लाईसेंस लेने पर लाईसेंस फीस में 20 प्रतिशत की छूट देय होगी।

8.4.2 होटल एवं रेस्टोरेंट बार की लाईसेन्स फीस के लिये नगरीय निकाय (नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिका) के क्षेत्र को शहरी क्षेत्र मानने का प्रावधान किया जायेगा।

8.5 पत्रकारों, राज्य कार्मिकों से संबंधित क्लब हेतु बार अनुज्ञापत्र के लिए सिविल क्लब हेतु देय वार्षिक फीस का 50 प्रतिशत निर्धारित किया जाता है।

8.6 बार अनुज्ञापत्र धारी के लिए यह आवश्यक होगा कि वित्तीय वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदन कर नवीनीकरण कराना होगा अन्यथा आगामी तीस दिन के भीतर अपना अनुज्ञापत्र विभाग को समर्पित करना होगा। किसी भी अनुज्ञाधारी द्वारा अपना अनुज्ञा पत्र समर्पित नहीं करने पर उसे भविष्य में कभी नवीनीकरण कराने पर बीच की अवधि की पूर्ण अनुज्ञा फीस देनी होगी। समय पर समर्पित कराये गये अनुज्ञाधारी बाद में बीच की अवधि जो भी हो की बिना नवीनीकरण शुल्क के नवीन अनुज्ञा पत्र की तत्समय निर्धारित शुल्क जमा कराकर आवेदन कर हेतु नियमानुसार अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के लिए पात्र रहेगें।

(9) भांग :–

9.1 बन्दोबस्त प्रकिया –

वर्ष 2022–23 व 2023–24 के लिये भांग समूहों का बन्दोबस्त निविदायें आमंत्रित कर किये जाने का निर्णय लिया गया है।

9.2 समूहों की संख्या –

वर्ष 2021–22 में भांग दुकानों के 30 समूह हैं। इसी अनुरूप वित्तीय वर्ष 2022–23 व 2023–24 के लिये 30 भांग समूहों में प्रत्येक भांग समूह में वित्तीय वर्ष 2021–22 में वास्तविक रूप से संचालित हो रही भांग की खुदरा दुकानों की संख्या के समान ही उस भांग समूह विशेष में सम्मिलित दुकानों की संख्या होगी। आवश्यक होने पर आबकारी आयुक्त की स्वीकृति से दुकानों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकेगी।

9.3 आरक्षित राशि का निर्धारण –

वर्ष 2021–22 हेतु निर्धारित आरक्षित राशि में 5 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर वर्ष 2022–23 के लिये अनुज्ञाराशि निर्धारित की जायेगी तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिये 5 प्रतिशत की वृद्धि और की जाएगी। वित्तीय वर्ष के दौरान पुनः बंदोबस्त की आवश्यकता होने पर आरक्षित राशि का पुनः निर्धारण आबकारी आयुक्त द्वारा गुणावगुण के आधार पर विश्लेषण उपरांत किया जाएगा।

9.4 भांग के रिटेल वेण्डर को प्रत्येक माह की अगली 15 तारीख तक संबंधित आबकारी निरीक्षक को मासिक रिपोर्ट (भांग की प्राप्ति–बिक्री एवं बैलेंस) प्रेषित करना आवश्यक होगा। भांग समूहों के बन्दोबस्त के सम्बन्ध में अन्य प्रावधान पूर्व वर्षों की भांति यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है। आबकारी निरीक्षक अपने वृत्त क्षेत्राधिकार में ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित भांग की खुदरा दुकानों का निरीक्षण प्रति 3 माह में एक बार अनिवार्य रूप से करेंगें। आबकारी निरीक्षक अपने वृत्त क्षेत्राधिकार में नगरीय निकाय क्षेत्र में अवस्थित भांग की खुदरा दुकानों का निरीक्षण प्रति 2 माह में एक बार अनिवार्य रूप से करेंगें।

(10) विभिन्न प्रक्रियाओं का सरलीकरण :–

वर्ष 2021–22 की आबकारी एवं मद्यसंयम नीति में आबकारी विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के लाइसेंस एवं परमिट संबंधित पक्षकारों को ऑनलाईन जारी करने तथा निर्धारित समयावधि में जारी न होने पर उसकी स्वतः स्वीकृति (Deemed Approval) मानी जाने संबंधी प्रक्रियाओं के सरलीकरण का कार्य किया गया है। इस कार्य को वर्ष 2022–23 में पूर्ण किया जाकर सभी प्रक्रियाओं को सरलीकृत तथा ऑनलाईन किया जायेगा।

होटल एवं रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञापत्र	• लाईसेन्स जारी होने की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण। • लाइसेंस एवं परमिट Online/Auto जारी करना। • प्रत्येक स्तर पर निर्धारित समयावधि में कार्यवाही नहीं होने पर उसकी स्वतः अग्रेषण/स्वीकृति (Deemed Approval) की व्यवस्था। • अनुज्ञापत्रों के ऑटो नवीनीकरण की व्यवस्था। • अतिरिक्त बार काउन्टर हेतु आवश्यक फीस जमा कराते ही ऑनलाईन स्वतः (Auto Approval) स्वीकृति जारी हो जायेगी।

ब्रांड एवं लेबल का अनुमोदन व पंजीयन	• ब्रांड एवं लेबल रजिस्ट्रेशन एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये एक साथ कराये जाने का प्रावधान। • ब्रांड एवं लेबल रजिस्ट्रेशन एक साथ 5 वर्ष के लिये कराने पर फीस में 20 प्रतिशत तथा 10 वर्ष के लिये एक साथ कराने पर फीस में 40 प्रतिशत की छूट देने का प्रावधान। • अनुमोदित लेबल के वर्ष के दौरान Statutory compliances के कारण लेबल में परिवर्तन किये जाने की स्थिति में लेबल रजिस्ट्रेशन फीस पुनः देय नहीं होगी। • एक ही ब्रांड के एक से अधिक निर्माण इकाईयों से सप्लाई किये जाने की स्थिति में ब्रांड रजिस्ट्रेशन फीस एक बार ही देय होगी परन्तु लेबल रजिस्ट्रेशन फीस पृथक–पृथक जमा करानी होगी। • ब्रांड लेबल का अनुमोदन व रजिस्ट्रेशन में स्तरों को कम करना तथा ऑटो अनुमोदन की व्यवस्था। • ब्रांड लेबल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने की स्थिति में निर्धारित फीस जमा कर ऑटो नवीनीकरण की व्यवस्था।
सप्लायर/निर्माण इकाईयां	• ऑनलाइन लाइसेंस नवीनीकरण। • निर्माण इकाई में परिवर्तन/परिवर्धन का ऑनलाइन अनुमोदन। • उत्पादन ईकाई में परिवर्तन व परिवर्धन के अनुमोदन के स्तरों को कम करना। • निर्धारित समयावधि में जारी न होने पर उसकी स्वतः स्वीकृति (Deemed Approval)
बैंच नम्बर या वाहन संख्या में अन्तर आने पर परमिट संशोधन	• बैंच नम्बर या वाहन संख्या में अन्तर आने पर परमिट संशोधन का सरलीकरण।
रिफण्ड की प्रक्रिया का सरलीकरण	• परिवहन परमिट एवं रिफण्ड प्रक्रिया का सरलीकरण।
सिंगल होलसेलर	• IMFL, Beer के साथ ही देशी मदिरा व RML के लिये भी RSBCL को होलसेलर बनाया जाना। यह प्रक्रिया 30 सितम्बर, 2022 तक पूर्ण की जायेगी।

(11) स्काडा (SCADA)/(IoT), ट्रेक एवं ट्रेस प्रणाली :–

वर्ष 2021–22 की आबकारी एवं मद्यसंयम नीति में स्काडा (SCADA)/(IoT), ट्रेक एवं ट्रेस प्रणाली लागू की गई है। इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए वित्तीय वर्ष 2022–23 में निम्नलिखित **कार्यवाही पूर्ण की जाएगी** :–

(i) **मदिरा उत्पादन** एवं निकासी की व्यवस्था की इलेक्ट्रानिक माध्यम से स्काडा (Supervisory Control and Data Acquisition-SCADA), Internet of Things-IoT,

ट्रेक एवं ट्रेस प्रणाली द्वारा नियंत्रित करने की कार्यवाही जिसमें **होलोग्राम** से युक्त क्युआर कोड सहित सूचनाओ को दर्ज करके इस हेतु ट्रेक एवं ट्रेस की प्रणाली को अपनाया जाना।

(ii) इस व्यवस्था के अन्तर्गत आसवनियों/यासवनियों, थोक अनुज्ञापनों तथा फुटकर अनुज्ञापनों के स्तर पर स्काडा (SCADA), IoT, ट्रेक एवं ट्रेस प्रणाली हेतु आवश्यक व्यवस्था की अनिवार्यता को सुनिश्चित किया जाना।

(iii) मदिरा उत्पादन ईकाइयों में जैसे–जैसे स्काडा (SCADA), IoT की स्थापना हो जाती है, वैसे–वैसे उनमें आबकारी विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को चरणबद्ध हटाया जायेगा।

(iv) स्प्रिट परिवहन के टेंकरों पर डिजीटल लॉक एवं जीपीएस से Tracking की व्यवस्था की जायेगी।

(v) रिटेल दुकानों पर POS मशीन एवं बिलिंग को अनिवार्य रूप से लागू किया जाना।

(vi) RSBCL के गोदामों का आवश्यकतानुसार नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण किया जाना।

(12) आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 का क्रियान्वयन एवं प्रभावी दिनांक 1 अप्रेल 2022 से होगा। परन्तु, आबकारी बन्दोबस्त में लगने वाले समय एवं उक्त नीति के अन्तर्गत जारी होने वाले विभिन्न अनुज्ञापत्रों की फीस सम्बन्धित आबकारी नियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022–23 से पूर्व राजकोष में जमा करायी जानी आवयश्क होती है, अतः तद्नुसार इसमें कार्यवाही दिनांक 1 अप्रेल, 2022 से पूर्व सम्पादित होगी।

(13) आबकारी बन्दोबस्त के अर्न्तगत आवंटित की जाने वाली दुकानों के अनुज्ञापत्र राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/स्थानीय निकायों/अन्य किसी भी राजकीय अथवा अर्द्धराजकीय संस्थान में सेवारत व्यक्तियों/ जन सेवकों को राजकीय अधिकारिता के अलावा व्यक्तिगत क्षमता में जारी नहीं किया जायेगा।

(14) रिटेल लाईसेन्स की शर्तों के उल्लंघन पर राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 58सी के तहत अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय करने पर तथा निर्धारित समय से अतिरिक्त समय पर दर्ज होने वाले अभियोगों में अनुज्ञा पत्र निलम्बन/निरस्तीकरण किया जाने का प्रावधान किया जाता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त अनुज्ञा पत्र की अन्य शर्तों के उल्लंघन करने पर अनुज्ञाधारी को सुनवाई का अवसर देकर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(15) मद्य संयम के सम्बन्ध में नीतिगत निर्देश :

(i) **दुकानें खोलने का समय** : राज्य में मदिरा की अनुज्ञापत्र प्राप्त रिटेल ऑफ (Retail-off) **दुकानें खुलने (10.00 बजे प्रातः) व बन्द (रात्रि 8.00 बजे**) होने के समय की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जायेगी।

(ii) **मदिरा उपभोग प्रोत्साहित करने वाले विज्ञापनों पर कार्यवाहीः** मदिरा एवं अन्य मादक पदार्थो के उपयोग को प्रोत्साहित करने वाले विज्ञापनों आदि के विरूद्ध प्रचलित कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। मदिरा/बीयर पीने के लिये विशेषकर युवाओं को आकर्षित/लालायित करने हेतु लगाये गये प्रचार विज्ञापनों /बोर्ड आदि को हटाया जायेगा।

(iii) **मदिरा पात्रों पर सुस्पष्ट चेतावनी का अंकन** : मदिरा के बोतल, अद्धा एवं पव्वा पर चिपकायें जाने वाले लेबल पर आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित फोन्ट साईज में **''मदिरा सेवन स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हैं''** की सुस्पष्ट वैधानिक चेतावनी का उल्लेख किया जायेगा।

(iv) **अवयस्क व्यक्तियों को नशीले पदार्थो की बिक्री पर रोक के प्रयासः** 18 वर्ष से कम आयु के युवा वर्ग को नशीले पदार्थों की बिक्री न होने देने के लिये प्रयास किये जायेंगे।

(v) **दुकानों पर मूल्य सूची एवं मदिरा उपभोग के दुष्प्रभाव की चेतावनीः** दुकान के बाहर सुस्पष्ट रूप से मदिरा की अद्यतन मूल्य सूची एवं मदिरा उपभोग के दुष्प्रभाव की चेतावनी को प्रदर्शित करना अनिवार्य किया जायेगा।

(vi) **दुकानों पर निर्धारित सूचना के अलावा विज्ञापन प्रदर्शित करने पर रोकः** दुकानों पर अनुज्ञाधारी का नाम, लाइसेन्स नम्बर, अवधि व मूल्य सूची के अलावा अन्य किसी प्रकार के विज्ञापन प्रदर्शित करने की अनुमति नही दी जायेगी।

(vii) **नशे के दुष्प्रभावों के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसारः**

- नशे के दुष्प्रभावों के संबंध में आमजन को जानकारी दिये जाने हेतु एवं जागरूकता लाने हेतु आई.ई.सी. गतिविधियां संचालित की जायेगी, जिसमें मुख्यतः दूरदर्शन, समाचार पत्रों एवं सार्वजनिक स्थानों पर बोर्ड लगाकर नशे के कुप्रभावों के बारे में प्रचार–प्रसार किया जायेगा। इस हेतु शराब सेवन से होने वाली हानियों/दुष्प्रभावों के सम्बन्ध में जन सामान्य को जागरूक किये जाने हेतु प्रभावी अभियान चलाया जायेगा
- राज्य में नशा मुक्ति केन्द्रों का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से किया जावेगा। राज्य में नशे की लत एवं इससे मुक्त होने की स्थिति का प्रतिष्ठित संस्थान से अध्ययन भी कराया जायेगा।
- हथकड़ शराब के व्यवसाय में लिप्त परिवारों के पुनर्वास हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित नवजीवन योजना के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
- इस हेतु राज्य को प्राप्त होने वाले आबकारी राजस्व का 0.1 प्रतिशत भाग (न्यूनतम 50.00 करोड़ रूपये) आरक्षित कर उपरोक्तानुसार गतिविधियां संचालित की जायेगी। आवश्यकतानुसार उक्त आरक्षित राशि का उपयोग मद्यसंयम प्रयोजनार्थ चिकित्सकीय/जॉच उपकरणों पर भी किया जा सकेगा।

(viii) **सार्वजनिक स्थलों पर मद्य सेवन पर जुर्माना**: सार्वजनिक स्थलों पर मद्य सेवन किये हुये अथवा करते हुये पाये जाने पर राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2013 में जुर्माने संबंधी प्रावधान को बढ़ाया गया है। संशोधित प्रावधान के अनुसार उल्लंघनकर्ताओं पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

(ix) समीपवर्ती राज्यों की सीमाओं से राजस्थान राज्य में अवैध रूप से आने वाले मदिरा पर प्रभावी नियंत्रण हेतु वर्ष भर के लिये निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रख कर कार्य योजना बनाई जाकर लागू की जायेगी:—

(a) सीमावर्ती जिलों की पुलिस के साथ समन्वय करते हुये संयुक्त जांच दलों का गठन किया जायेगा।

(b) इस तरह की गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों की मुखबिरी किये जाने हेतु राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ12(40)वित्त/कर/2010 पार्ट—45 दिनांक 20.07.2021 द्वारा जारी की गयी मुखबिर प्रोत्साहन योजना के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(c) 24 घण्टे निगरानी रखे जाने की दृष्टि से निगरानी दलों को वाहन एवं अन्य संसाधन उपलब्ध कराये गये है।

(d) सीमावर्ती जिलों में इस कार्यवाही का प्रभावी बनाये रखने के लिये सम्भाग स्तर पर सम्भागीय आयुक्त की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जायेगी। इसमें कमेटी में आबकारी विभाग, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी सम्मिलित रहेंगे।

(e) निकटवर्ती राज्यों की नीतियों, जिनके कारण राजस्थान में शराब की तस्करी को बढ़ावा मिलता है, के सम्बन्ध में राज्य सरकार के स्तर पर संबंधित राज्य की सरकार के साथ संवाद स्थापित कर शराब की तस्करी पर नियंत्रण हेतु प्रयास किये जायेंगे।

(16) शुष्क दिवस :

वर्तमान में निर्धारित 5 शुष्क दिवस गणतंत्र दिवस, महात्मा गांधी की पुण्य तिथि 30 जनवरी, महावीर जयंती, स्वाधीनता दिवस एवं गांधी जयंती को वित्तीय वर्ष 2022—23 व 2023—24 में यथावत रखा जायेगा।

(17) अवैध शराब के सेवन के परिणामस्वरूप होने वाली दुखान्तिकाओं के लिये उत्तरदायित्व एवं प्रबोधन :—

17.1 आबकारी निरोधक दल का जिला स्तर पर जिला आबकारी अधिकारी को नियंत्रण अधिकारी बनाया जायेगा।

17.2 शराब दुखान्तिका की घटना की गम्भीर प्रकृति को देखते हुये निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रथम दृष्टया घटना के लिये उत्तरदायी माना

जाकर तत्काल निलम्बित करते हुये, समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

(i) संबंधित जिला का जिला आबकारी अधिकारी
(ii) आबकारी निरोधक दल का जिला स्तरीय अधिकारी यथा–सहायक आबकारी अधिकारी / उपनिदेशक निरोधक दल।
(iii) संबंधित क्षेत्र के आबकारी थाने का प्रहराधिकारी / सहायक निदेशक।
(iv) संबंधित क्षेत्र के आबकारी थाने का बीट कॉस्टेबल।
(v) संबंधित क्षेत्र के जिला पुलिस का उप अधीक्षक पुलिस।
(vi) संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाने का थानाधिकारी।
(vii) संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाने का बीट कॉस्टेबल।

(18) आबकारी विभाग की प्रशासनिक प्राथमिकतायें :

(i) पड़ौसी राज्यों विशेषतः पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश से आने वाली अवैध मदिरा को रोकना एवं प्रभावी कार्यवाही किया जाना।
(ii) आबकारी निरोधक दल हथकड़ व अवैध मदिरा को रोकने के लिये कार्य करेंगे। मदिरा दुकानों पर उनका कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा।

(19) आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में किये गये बदलाव जिसका प्रभाव राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 या आबकारी से संबंधित अन्य विधियों, अधिनियमों, नियमों तथा उप नियमों तक है, उनका संबंधित विधियों / नियमों / उप नियमों में संशोधन कर अधिसूचित किया जाकर गजट में प्रकाशन किया जायेगा।

इन निर्देशों को लागू किये जाने हेतु संबंधित प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित अवधि में कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

आबकारी आयुक्त द्वारा आगामी बंदोबस्त यथासम्भव दिनांक 31 मार्च, 2022 तक पूर्ण कर राज्य सरकार को अवगत कराया जायेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

5/2/22

(सुरेश चन्द गुप्ता)
शासन सचिव, वित्त (राजस्व)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय आबकारी मंत्री महोदय, राजस्थान।
4. उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान
6. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान।
7. आबकारी आयुक्त, उदयपुर को नीति में सम्मिलित निर्देशों को लागू किये जाने हेतु अधिनियम/नियम/आदेश में संशोधन अथवा नवीन निर्देश/आदेश/अधिसूचना जारी किया जाना अपेक्षित होने पर उन अधिसूचनाओं/आदेशों के प्रारूप शीघ्र प्रेषित करने के निर्देश के साथ।
8. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
9. समस्त संभागीय पुलिस महानिरीक्षक, राजस्थान।
10. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को नीति के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
11. समस्त जिला क्लेक्टर्स, राजस्थान।
12. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
13. समस्त अतिरिक्त आयुक्त जोन, आबकारी विभाग, राजस्थान।
14. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, राजस्थान।
15. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
16. अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय जयपुर को राजकीय गजट में प्रकाशन हेतु।
17. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव,
वित्त (आबकारी) विभाग